राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–25 / 2025

जैनेन्द्र कुमार आर्या बनाम् विकास कुमार तिवारी।

यह वाद **श्री जैनेन्द्र कुमार आर्या, पिता–श्री बालमुकुन्द माधव, पता–वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् भभुआ, मधुरण गृह, एकता चौक, पोस्ट+थाना–भभुआ, जिला–कैमूर** द्वारा **श्री विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलु तिवारी, पिता–श्री नरेन्द्र तिवारी, पता–वार्ड संख्या–21, नगर परिषद् भभुआ, पोस्ट+थाना–भभुआ, जिला–कैमूर(वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर परिषद् भभुआ)** के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर **मुख्य पार्षद, नगर परिषद् भभुआ**, जिला–कैमूर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार गौरव द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **कैमूर** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री मनोज कुमार 'पवन', जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता कुमार गौरव द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री विकास कुमार तिवारी को कूल–04 संतान है, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। उनके द्वारा स्वयं अपने नामांकन–पत्र में 04 सतानों का उल्लेख किया गया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा वाद–पत्र में संलग्न प्रतिवादी के अभ्यर्थी बायोडाटा का अवलोकन कराया गया, जिसमें संतानों की संख्या पुत्र–02 एवं पुत्री–02 अंकित पायी गयी। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि संतानों की संख्या Admitted Fact है।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से नामांकन–पत्र में गलत सूचना अंकित की गई, कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उनका कोई संतान जन्म नहीं लिया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में **मिथ्या शपथ–पत्र** भी दायर किया गया है, जो यह दावा करता है कि नामांकन–पत्र में अंकित उनकी सभी सूचनाएँ, सही हैं।

उनके द्वारा दावा किया गया कि 04 संतानों में से कम–से–कम एक संतान की जन्मतिथि 04.04.2008 के उपरांत की है, हालाँकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, कैमूर के प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवादी के 03 संतानों की जन्मतिथि 04.04.2008 के उपरांत की है।

वादी द्वारा अपने दावें के समर्थन में प्रतिवादी श्री विकास कुमार तिवारी के नामांकन–पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें पुत्र की संख्या–02 एवं पुत्री की संख्या–02 अंकित है। दूसरे

साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा अपने पूरक शपथ–पत्र में संलग्न आर्या कुमारी के C.B.S.E. Result-2024 का वर्ग–10 के अंक–पत्र का Web copy दिखाया गया, जिसमें आर्या कुमारी के पिता का नाम विकास कुमार तिवारी अंकित है तथा जन्मतिथि–25.05.2009 अंकित है। उक्त साक्ष्यों के आधार पर उनके द्वारा प्रतिवादी को निरर्हित करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला पदाधिकारी, कैमूर के प्रतिवेदन पत्रांक–14/प0, दिनांक–05.01.2026 में उनके दावें के अनुसार उनके पक्ष में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, कैमूर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार कूल तीन संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के तर्कों का जोड़दार खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि वादी के पास अपने दावें के समर्थन हेतु कोई Authentic साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि स्वयं वादी द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से उनके मुवक्किल के संतानों की जन्मतिथि के बारे में परस्पर विरोधाभाषी Statement दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को अपने दावें के समर्थन में वाद–पत्र के पारा–09 में वादी द्वारा अंकित जन्मतिथि–24.07.2012 की तरफ ध्यानाकृष्ट किया गया। पुनः वादी के पूरक शपथ–पत्र के पारा–04 की तरफ ध्यानाकृष्ट करते हुए बताया गया कि इस पारा में आर्या कुमारी की जन्मतिथि–25.05.2009 होने का दावा किया जा रहा है। उनके द्वारा यह माँग की गई कि वादी पर अर्थदण्ड लगाना चाहिए, क्योंकि शपथ–पत्र पर वह परस्पर विरोधी तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की दो जन्मतिथियाँ नहीं हो सकती।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उनके जवाब एवं पूरक जवाब का Denial नहीं किया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा अपने जवाब में असृजा कुमारी के Online पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसमें उनके आधार संख्या एवं स्कूल कोड अंकित है। साथ ही साथ असृजा कुमारी की जन्मतिथि–23.11.2006 भी उसमें अंकित है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि उनके उक्त जन्मतिथि की पुष्टि S.M. Public School, Bhabua-13 द्वारा निर्गत विद्यालय परित्याग–पत्र से भी होता है, जिसमें जन्मतिथि–23.11.2006 ही अंकित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि असृजा +2 श्री बजरंग बली माध्यमिक विद्यालय, खजुरा अंचल रामपुर, कैमूर में अध्ययनरत है, जिसका परिचय–पत्र उनके द्वारा साक्ष्य में लगाया गया है, जिसमें उसकी जन्मतिथि–23.11.2006 ही अंकित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि हालाँकि आधार जन्मतिथि का Conclusive Proof फिर भी Corroborative Evidence के रूप में स्वीकार योग्य है। उनके द्वारा आगे यह बताया गया कि असृजा कुमारी आधार संख्या–6438 9335 0735, जन्मतिथि–23.11.2006, आर्या कुमारी, आधार संख्या– 5250 1577 0465, जन्मतिथि–24.12.2005 तथा एकान्से कुमार, आधार संख्या–7558 6800 0955, जन्मतिथि–23.12.2007 अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके

मुवक्किल का सबसे छोटा संतान एकान्से कुमार तिवारी ही है, जबकि वादी आर्या कुमारी को अंतिम संतान बता रहे है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल का एक संतान ESHAN TIWARI की जन्मतिथि–24.12.2005 है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा ESHAN TIWARI के Matriculation के अंक–पत्र का छायाप्रति उनके द्वारा दिखाया गया, जिसमें उक्त जन्मतिथि अंकित पाया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके तीन संतानों का जन्म गढ़वा, सदर हॉस्पीटल, झारखण्ड में हुआ है। उक्त सरकारी हॉस्पीटल द्वारा तीनों संतानों आर्या कुमारी और असृजा कुमारी एवं ऐकान्से कुमार का जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। उनके द्वारा आयोग का ध्यानाकृष्ट करते हुए, बताया गया कि भले हिं प्रमाण–पत्र वर्ष–2025 में निर्गत हुए है, इनके पंजीकरण की तिथि काफी पूर्व क्रमशः दिनांक–10.01.2006, दिनांक–10.12.2006 एवं दिनांक–10.01.2008 है, उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि उक्त तीनों संतानों की जन्मतिथि अन्य अभिलेखों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में हू–ब–हू एक समान है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अपने दावें के समर्थन में आर्या कुमारी के APAAR I.D. की Digi locker से Downloaded Credential को संलग्न किया गया है, जिसमें आर्या कुमारी की जन्मतिथि–24.12.2005 अंकित है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि Digi locker के Documents, Most Valuable Documents है, इसे कोई बदल नहीं सकता, या उसमें कोई हेर–फेर नहीं कर सकता। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा जो Check-List संलग्न किया गया है, वह आर्या कुमारी के +2 के Credential से संबंधित है।

उनके द्वारा रिंकू देवी वाद एवं कौसमी देवी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय–निर्णय को संदर्भित करते हुए, वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि जिला प्रशासन का प्रतिवेदन फर्जी एवं वादी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत उन्हें जाँच का हिस्सा नहीं बनाया गया तथा Table Work कर मनमाने ढ़ंग से प्रतिवेदन तैयार कर दिया गया।

उनके द्वारा अपने जवाब के पारा–01 में वादी के सम्पूर्ण आरोपों को Deny किया गया, जबकि उनके द्वारा दिये गये, अभिलेखों को न तो जिला प्रशासन के द्वारा Deny किया गया और न ही वादी के द्वारा।

उनके द्वारा दावा किया गया है कि यदि बिना सत्यापन के वादी द्वारा दिये गये, Web Copy को Consider किया जा रहा है, तो Digi locker के Credential को किस कारण से Consider किया गया, या किया जा रहा है।

आगे उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया कि Gems English School जो कि **'प्राईवेट'** संस्थान है, के अभिलेखों का क्या Value है, जबकि उनके द्वारा दिये गये अभिलेखों का सत्यापन नहीं करा

लिया जाता। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व उनके द्वारा प्रदत्त अभिलेखों/साक्ष्यों का सत्यापन अवश्य करा लिया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा अपने वाद–पत्र में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि आर्या कुमारी सबसे अंतिम संतान है। उनका दावा यह है कि 04 संतानों में से कम से कम एक संतान की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आर्या कुमारी के संबंध में उनके दावें परस्पर विरोधाभाषी नहीं है, बल्कि वाद के सुनवाई के क्रम में जब उन्हें पूर्व में उपलब्ध कराये गये, साक्ष्य से बेहतर साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो उनके द्वारा इसे पूरक शपथ–पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष लाया गया।

उनके द्वारा पुनः Matric Registration एवं APAAR I.D. पर संदेह व्यक्त किया गया तथा यह दावा किया गया कि Form Fill up करना एवं इसका Submission दो अलग–अलग चीजे है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा Marks sheet का Denial किया गया है। अंत में जिला प्रशासन के प्रतिवेदन का बचाव करते हुए, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जाँच SDO स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया गया है, जिसको संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः जाँच प्रतिवेदन सही है।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–14/प0, दिनांक–05.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर द्वारा जाँच प्रतिवेदन** में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

"वाद–पत्र में संलग्न श्री विकास कुमार तिवारी के संतानों का विवरण **प्रपत्र–'ग' के कंडिका–08 में विवाहित होने की** स्थिति में संतान की संख्या–02 पुत्र एवं 02 पुत्रियाँ है। **कंडिका–09 में 04.04.2008 के पश्चात् कितनी** संतान हुई में शून्य दर्ज किया गया है।

उक्त के संबंध में प्राधानाचार्य, 'जेम्स इंगलिस' स्कूल, भभुआ द्वारा उनके **पुत्र एवं पुत्रियों के उपलब्ध कराये गये जन्मतिथि** से संबंधित साक्ष्य में विवरणी निम्न प्रकार है:–

(i) **आकांश तिवारी** – जन्मतिथि–23.09.2016

(ii) **अश्रृजा कुमारी** – जन्मतिथि–05.06.2012

(iii) **आर्या कुमारी** – जन्मतिथि–25.05.2008

(iv) **इशांत तिवारी** – जन्मतिथि–24.02.2007

प्राधानाचार्य, 'जेम्स इंगलिस' स्कूल, भभुआ से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर **जाँच प्रतिवेदन में पाया गया कि श्री तिवारी** के तीन बच्चें की जन्मतिथि दिनांक–**04.04.2008 के बाद है।"**

6. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं** के द्वारा उपलब्ध कराये गये **अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–**जिला पदाधिकारी, कैमूर का प्रतिवेदन अवलोकन **किया गया।**

उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री विकास कुमार तिवारी (वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर परिषद् भभुआ, कैमूर) द्वारा दिनांक– 04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर मुख्य पार्षद,, नगर परिषद् भभुआ, कैमूर के पद पर निर्वाचित हो गये है।"

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा एवं तर्क अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में स्वयं अपने संतानों की संख्या वाले कंडिका में पुत्र की संख्या–02 एवं पुत्री की संख्या–02 अंकित की गयी है। इस प्रकार संतानों की संख्या में दोनों पक्ष एक मत है। दोनों पक्षों का दावा एवं प्रतिदावा केवल उनके जन्मतिथियों को लेकर है।

आयोग वादी के इस तर्क एवं साक्ष्यों से सहमत है कि प्रतिवादी के कम–से–कम एक संतान की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा आर्या कुमारी के Secondary School Examination (Class-X) Result-2024 के Web copy को शपथ–पत्र के माध्यम से साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिसमें आर्या कुमारी की जन्मतिथि–25.05.2009 अंकित है। मैट्रिक एवं समकक्ष के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि निर्विवाद साक्ष्य के रूप में सर्वाधिक मान्य प्रमाण है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र को Deny नहीं किया गया है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रमाण भी सत्यापित एवं प्रमाणित है, क्योंकि Gems English School, भभुआ के नामांकन आवेदन–पत्र में अंकित उनके संतानों की जन्मतिथि भी मान्य है, क्योंकि उन नामांकन–पत्रों पर स्वयं प्रतिवादी अथवा उनकी पत्नी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। साथ ही साथ इन प्रमाण–पत्रों को विद्यालय के मूल अभिलेखों से मिलान कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) द्वारा सत्यापित किया गया है। इस प्रकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ) के प्रतिवेदनानुसार कुल 03 संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत प्रमाणित पायी गयी है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि नैसर्गिक न्याय के नियम के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि दिनांक–07.10.2025, दिनांक–20.11.2025, दिनांक–13.01.2026, दिनांक–20.01.2026 तथा दिनांक–27.01.2026 को हुए सभी सुनवाईयों में उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा अपने बचाव में जो भी अभिलेख/तर्क दिये गये है, उनका संज्ञान आयोग द्वारा लिया गया है, यहाँ तक की उनके अनुरोध पर पहले वाद की Maintainability पर सुनवाई की गयी तथा विधिवत् आदेश पारित किया गया ।

आयोग द्वारा प्रतिवादी की तरफ से उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों को कम महत्व इस कारण से दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिये गये, जन्म प्रमाण–पत्र के निर्गत तिथि और इसके

पंजीकरण की तारीख में लगभग 19 वर्षों का अन्तर है। ऐसी स्थिति में उक्त जन्म प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

प्रतिवादी द्वारा आर्या कुमारी के Digi-Locker एवं APAAR I.D. में अंकित जन्मतिथि–24.12.2005 का दावा किया है, परन्तु उनके मैट्रिक में अंकित जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में कोई Denial नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा संदर्भित रिंकू कुमारी वाद तथा स्वीटी देवी वाद विचाराधीन वाद से अलग तथ्यों पर आधारित होने के कारण उनमें दिये गये निर्णय इस वाद पर लागू नहीं होते, क्योंकि विचाराधीन वाद में निर्विवाद साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी के एक संतान का मैट्रिक का अंक–पत्र प्राप्त है, जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त अंक–पत्र Deny भी नहीं किया गया है। स्वीटी देवी वाद का अंतिम निष्पादन तक नहीं हुआ है। उपयुक्त कारणों से प्रतिवादी के तर्क एवं बचाव अभिलेख स्वीकार योग्य नहीं है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री विकास कुमार तिवारी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, भभुआ (कैमूर) के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहे। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री विकास कुमार तिवारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, भभुआ (कैमूर) के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, भभुआ (कैमूर) का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को आदेश दिया जाता है कि श्री विकास कुमार तिवारी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से 04 सप्ताह में आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–25 / 2025 1698 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–25 / 2025 1698 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **कैमूर (भभुआ** जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कैमूर (भभुआ)** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **कैमूर (भभुआ)** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–25 / 2025 1698 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि– श्री जैनेन्द्र कुमार आर्या, पिता–श्री बालमुकुन्द माधव, पता–वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् भभुआ, मधुरण गृह, एकता चौक, पोस्ट+थाना–भभुआ, जिला–कैमूर द्वारा श्री विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलु तिवारी, पिता–श्री नरेन्द्र तिवारी, पता–वार्ड संख्या–21, नगर परिषद् भभुआ, पोस्ट+थाना–भभुआ, जिला–कैमूर(पदमुक्त मुख्य पार्षद, नगर परिषद् भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–25 / 2025 1698 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर / श्री वैष्णो कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी